उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-06/2022/एस-2-।/130161/दस-2022-324/2021

लखनऊ :: दिनॉक :: 07 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'ख' साधारण वेतनमान, वेतनबैण्ड-3, रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400 (लेविल-10) में मौलिक रूप से नियुक्त श्री आलोक चौधरी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, शाहजहॉपुर को समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-2, वेतनबैण्ड-3, रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/-(लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत कर उनके वर्तमान पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट संख्या-1646(एस0बी0)/2012 अरविन्द कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगी।

3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक तत्काल शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

4- उक्त नव पदोन्नत अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-06/2022/एस-2-।/130161(1)/दस-2022, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अध्यक्ष, जिला पंचायत, शाहजहॉपुर।
3- जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
7- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।